न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:– 15 / 2022

प्रविष्टि दिनांक:– 08.04.2022

1.रामपाल पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी देशमी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
2.नंदा पुत्र नारायण जाति रैगर निवासी देशमी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
3.केसर पत्नि स्व. नारायण जाति रैगर निवासी देशमी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.
4.कान्ता पुत्री नारायण जाति रैगर निवासी देशमी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

.....आवेदकगण

बनाम

1. सोहनी देवी पत्नि रामजीलाल जाति जाट निवासी देशमी तहसील मालपुरा जिला टोंक
2. लाली देवी पत्नि छगनलाल जाति जाट निवासी देशमी तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. तहसीलदार मालपुरा / नायब तहसीलदार डिग्गी जिला टोंक

.....विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 235 राज. टि. एक्ट बाबत अन्तरण उनवानी मुकदमा सोहनी देवी आदि बनाम नारायण आदि प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह मुकदमा नम्बर 118 / 2022

उपस्थित–

1. अभिभाषक आवेदकगण श्री सीताराम विजय।
2. अभिभाषक विपक्षीगण श्री शिवराज टाण्डी।

निर्णय

दिनांक 24.05.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सोहनी देवी बनाम नारायण मु. नं. 118 / 2022 को उक्त न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी पीपलू या उपखण्ड अधिकारी टोंक के न्यायालयों में स्थानान्तरित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार रिपोर्ट तलब की गई।

अभिभाषक आवेदकगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने पूर्व में एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के यहां विचाराधीन उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु पेश किया था, जिसमें अभिभाषक की सहमति से उक्त प्रकरण को दिनांक 18.02.2022 को न्यायालय हाजा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में स्थानान्तरित कर दिया गया। आवेदकगण स्व.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

नारायण चंदा के वारिसान है, जिनके स्वर्गवास होने के कारण पूर्व में प्रार्थना पत्र उनके एकमात्र लडके नंदा ने केस किया था, जबकि नारायण के अन्य वारिसान भी है, जिन्होंने यह आवेदन पेश किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केवल नंदा को अन्य वारिसान को पक्षकार बनाये बिना आवेदन पेश करने का अधिकार नहीं था तथा अभिभाषक को भी नंदा ने स्वविवेक से पत्रावली को किसी भी अदालत में भेजने का अधिकार नहीं था। साथ ही निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां अप्रार्थीगण सोहनी देवी पत्नि रामजीलाल व लाली देवी पत्नि छगनलाल के पति का भाई रीडर के पद पर कार्यरत है तथा अप्रार्थीगण ऐलानियां प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि न्यायालय में हमारे पति के भाई रीडर है, इस कारण जैसा हम चाहेंगे, वैसा ही आदेश हो जावेगा। अतः निवेदन हैं कि आवेदन स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सोहनी देवी बनाम नारायण मु. नं. 118/2022 को उक्त न्यायालय से उपखण्ड अधिकारी पीपलू या उपखण्ड अधिकारी टोंक के न्यायालयों में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि आवेदकगण बेवजह ही स्थानान्तरण का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में देरी करवाना चाहते है। उनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को स्थानान्तरित करने का निवेदन किया था जिसे स्वीकार कर श्रीमान् के न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह में स्थानान्तरित कर दिया गया था। अब न्यायालय में प्रकरण में नियमित सुनवाई की जा रही हैं तो प्रार्थीगण रीडर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मात्र प्रकरण के निर्णय में देरी करने के लिए स्थानान्तरित करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के साथ न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण 60/2021 निर्णय दिनांक 18.02.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि केवल मात्र प्रार्थीगण द्वारा लगाए गए आक्षेप से प्रकरण का स्थानान्तरण करना उचित नहीं है क्योंकि रीडर के पद पर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकरण का निर्णय व निस्तारण पीठासीन अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। प्रकरण के निर्णय में रीडर की कोई भूमिका नहीं होती है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)